न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 145/2013

सायल :-

1. कमलजीतसिंह पुत्र हिंगलाजदान
   जाति–चारण,निवासी–कांवलियाखुर्द
   तहसील–जैतारण (जिला–पाली)

बनाम

गै0सा0 :-

1. किशनसिंह पुत्र हिंगलाजदान
   जाति–चारण,निवासी–कांवलियाखुर्द
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली
2. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण
3. तहसीलदार जैतारण
   भूमिधारी राजस्थान सरकार
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 25/04/2013

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, गै0सा0।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 15/01/2018**

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–पातुस, पटवार हल्का–बिरोल, तहसील–जैतारण में गै0सा0 संख्या 01 के नाम खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 53–01 बीघा किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 18 रकबा 4–16 बीघा किस्म गै0मु0बाली, खसरा नम्बर 19 रकबा 5–11 बीघा किस्म चाही तृतीय, कुल किता–3 कुल रकबा 96–08 बीघा की आई हुई हैं। गै0सा0 संख्या 01 के नाम राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज हैं, जो काबिल दुरूस्त के हैं। वर्णित कृषि भूमि के पड़ौस पूर्व में – मैन रोड़ जैतारण से बिरोल, पश्चिम में – बेरा सिरिया के खातेदारान् की जमीन, उत्तर में – रास्ता गरनिया जाने का, दक्षिण में बेरा रेल का जाव आया हुआ हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि को गै0सा0 संख्या 01 के पिता हिंगलाजदान जरिये लिखित इकरार बेचान से कस्तुरचन्द पुत्र देवीलाल ब्राह्मण व तख्तसिंह पुत्र रामसिंह सांखला निवासी / तहसील जैतारण से दिनांक 01/06/1980 को संवत् 2037 के जेठ द्वितीय कृष्ण पक्ष तीज रविवार को खरीद की। इस बाबत् गै0सा0 संख्या 01 के पिता को कस्तुरचन्द द्वारा दिनांक 02/12/1980 को लिखे पत्र से भी साबित हैं। जिसमें कस्तुरचन्द द्वारा इस कृषि भूमि के पेटे रूपये 4000/– प्राप्त किये का अंकन हैं। हिंगलाजदान मात्र हस्ताक्षर करना जानते थे। वह पढे लिखे नहीं होने के कारण उनके पुत्र गै0सा0 संख्या 01 ने उन्हें सिलिंग का डर बताकर उक्त भूमि की रजिस्ट्री विक्रेता कस्तुरचन्द व तख्तसिंह द्वारा अपने नाम दिनांक 17/01/1981 को करवा ली तथा गै0सा0 संख्या 01 ने अपने पिता को यह भी विश्वास दिलाया कि मेरा छोटा भाई सायल कमलजीतसिंह बालिग होने पर उक्त भूमि में उसका नाम दर्ज करवा दूंगा। इसी विश्वास से हिंगलाजदान ने उक्त भूमि का विक्रय विलेख रूपये 9000/– प्रतिफल की राशि विक्रेताओं को देकर गै0सा0 संख्या 01 के पक्ष में करवा दी। नकल लिखित इकरार बेचान दिनांक 01/06/1980, नकल पत्र दिनांक 02/12/1980 साथ पेश की हैं। उक्त कृषि भूमि क्रय करने के बाद 1980 से जीवन प्रर्यन्त सायल व गै0सा0 संख्या 01 के पिता हिंगलाजदान का कब्जा काश्त था तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर सामलाती रूप से उनके वारिसान सायल व गै0सा0 का कब्जा व काश्त रहा। उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक आराजी हैं, जो सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से साबित हैं। वक्त खरीद गै0सा0 संख्या 01 अध्ययनरत था तथा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उसकी आय का भी कोई ख्रात नहीं था। उक्त भूमि की खरीद की रकम भी हिंगलाजदान ने विक्रेताओं को दी। उक्त भूमि पैतृक होने से सायल का भी कूननन हक व अधिकार बनता हैं। उक्त भूमि में सायल का नाम दर्ज नहीं होता हैं तो सायल अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम होना पडेगा व असीम हानि होगी। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से में सायल ने दिनांक 20/03/2013 को अपना नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो गै0सा0 संख्या 01 स्पष्ट ईन्कार हुआ। इतना ही सायल को उसके हिस्से से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी व उक्त भूमि वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। उक्त वर्णित कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर कब्जा व काश्त सायल का हैं। वर्तमान में जमीनों की कीमते बढने के कारण गै0सा0 संख्या 01 की नियत में खोट आने से मात्र जमाबन्दी में गलत इन्द्राज होने के आधार पर उक्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण करने पर तुला हुआ हैं। यदि पैतृक आराजी को बेचान कर देता हैं तो सायल हमेशा के लिये अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगा। जबकि उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर कब्जा व काश्त निरन्तर रूप से बिना किसी रोकटोक के गै0सा0 संख्या 01 की जानकारी से चला आ रहा हैं। यदि गै0सा0 संख्या 01 उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बेचान रजिस्ट्री गै0सा0 संख्या 02 के समक्ष पेश करें तो उसका पंजीयन नहीं करें व क्रेता के पक्ष में पंजीयन कर देवे तो गै0सा0 संख्या 03 तहसीलदार जैतारण क्रेता के पक्ष में म्यूटेशन पारित नहीं करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें। उक्त वर्णित कृषि भूमि सामलाती खातेदारी में दर्ज हैं। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक हैं। सामलाती भूमि होने से सायल को अपने 1/2 हिस्से की भूमि काबिल काश्त करने हेतु खाद बीज के लिये बैंक से ऋण लेने में कठिनाईयां होती हैं व अपने हिस्से की भूमि में अलग से कुआ खुदवाकर उस पर विद्युत कनेक्शन लेने की भी कठिनाई होती हैं। सायल ने कानूनन बंटवाड़ा हेतु दिनांक 20/03/2013 को कहा तो गै0सा0 ईन्कार हुआ। तब सायल द्वारा बंटवाड़ा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। सायल के स्वयं के शपथ पत्र, सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से मौके पर 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त होने से उक्त कृषि भूमि हिंगलाजदान द्वारा खरीद किया जाने से सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला हैं तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में हैं। यदि गै0सा0 संख्या 01 द्वारा जमाबन्दी में गलत इन्द्राज के आधार पर पैतृक कृषि भूमि को बेचान हस्तान्तरण कर देता हैं तो या रहन रख देता हैं तो सायल को अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम रहना पडेगा। जिससे सायल को असीम क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन किसी कदर संभव नहीं होगा। इसलिए उपरोक्त कारणों से सायल ने गै0सा0 के विरूद्ध मुकदमें बाजी रोकने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। इस कारण से सायल के पक्ष में व गै0सा0 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। गै0सा0 को तबल किया गया। गै0सा0 के वकील ने जबाब प्रस्तुत किया गया कि भूमि के संबंध में जो रिकार्ड तथ्य सायल द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, असत्य हैं। दिनांक 14/01/2018 को विधिवत विपक्षी संख्या 01 पूर्व खातेदार तख्तसिंह के पिता रामसिंह सांखला एवं कस्तुरचन्द पिता देवीलाल ब्राह्मण जैतारण हाल पातूस, तहसील–जैतारण ने विक्रय आज से 36 वर्ष हो चुके हैं। जमीन विपक्षी ने क्रय की हैं। जबसे जमीन मुझ विपक्षी द्वारा क्रय की गई हैं। तब से आज तक मैं विपक्षी संख्या 01 खातेदार काश्तकार हूँ। उक्त भूमि में राजस्व की अदायगी भी मेरे द्वारा बराबर दी जाती रही हैं। प्रार्थना पत्र में पड़ौसियों का गलत अंकन किया गया हैं। यह सारा षडयंत्र दावा करने की गरज से किया गया हैं। उक्त जमीन मूल्य देकर खरीद की हैं। पिता के स्वर्गवास के बाद दिनांक 15/06/09 को विधिवत दोनों भाईयों के नाम अलग–अलग दस्तावेज लिख खातों में अंकित करवाई। जिससे सायल के पक्ष में अलग हक त्याग पत्र संपादित किया गया हैं। प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं हैं। जब रजिस्ट्री सिविल न्यायालय से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खारिज नहीं करवाई जावे। तब तक प्रार्थना पत्र चलने काबिल नहीं हैं। विवादित भूमि पर सायल द्वारा गै0सा0 के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोका जावें। वकील गै0सा0 ने विशेष कथन एवं काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील सायल ने जबाब काउण्टर में जाहिर किया कि प्रार्थी के पिता को मात्र अक्षर ज्ञान होने से अप्रार्थी ने सिलिंग का डर बताकर उक्त भूमि को विक्रेताओं से अपने नाम विक्रय विलेख पंजीबद्ध करवा लिया व पिताजी को विश्वास दिलाया कि प्रार्थी बालिग होते ही 1/2 हिस्से की कृषि भूमि में मैं उसका नाम दर्ज करवा डूंगा। भूमि क्रय की जिससे सम्पूर्ण राशि पिता हिंगलाजदान ने दी हैं। क्योंकि वक्त क्रय अप्रार्थी अध्यपश्त था। इसलिये अप्रार्थी के आज का स्रोत ही नहीं था। अप्रार्थी 1/2 हिस्से पर काबिज हैं। प्रार्थी में पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की हैं, जो न्यासंगत हैं।

बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात एवं जबाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर प्रार्थना पत्र तथा काउण्टर प्रार्थना पत्र का जबाब आदि का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस दौरान वकील गै0सा0 ने न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 2016 पेज 136, आर.आर.टी. 2005 पेज 301, आर.आर.टी. 200/2012 पेज 1423, आर.आर.टी. 2014 पेज 523 पेश किये। न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अध्ययन किया गया। सायल एवं गै0सा0 की सम्मिलित भूमि हैं। जिसका बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक हैं। सायल के 1/2 हिस्से की भूमि काबिल काश्त करने हेतु बैंक से ऋण लेने में कठिनाईयां होती हैं। उक्त विवादित भूमि हिंगलाजदान द्वारा खरीद की हुई हैं। जिसमें सायल का 1/2 हिस्सा होने का कथन जाहिर किये हैं। सायल का कब्जा काश्त होने से सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। न्यायालय द्वारा दिनांक 25/04/2013 को वाद निर्णय तक आदेश को पुख्ता किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–पातुस, पटवार हल्का–बिरोल, तहसील–जैतारण में गै0सा0 संख्या 01 के नाम खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 53–01 बीघा किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 18 रकबा 4–16 बीघा किस्म गै0मु0बाली, खसरा नम्बर 19 रकबा 5–11 बीघा किस्म चाही तृतीय, कुल किता–3 कुल रकबा 96–08 बीघा में वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को जरिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के दिनांक 25/04/2013 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner